उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण अनुभाग–2
संख्या– 1119/26–2–2021–1 (रिट)/2012
लखनऊः दिनांक 09 अगस्त, 2021
कार्यालय ज्ञाप

रिट पिटीशन (सिविल) नं0–400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेज अथारिटी बनाम् यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15 अप्रैल, 2014 का प्रभावकारी अंश निम्नवत् हैः–

129. We, therefore, declare:

(1) Hijras, Eunuchs, apart from binary gender, be treated as "third gender" for the purpose of safeguarding their rights under Part III of our Constitution and the laws made by the Parliament and the State Legislature.

(2) Transgender persons' right to decide their selfidentified gender is also upheld and the Centre and State Governments are directed to grant legal recognition of their gender identity such as male, female or as third gender.

(3) We direct the Centre and the State Governments to take steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments.

(4) Centre and State Governments are directed to operate separate HIV Sero-survellance Centres since Hijras/ Transgenders face several sexual health issues.

(5) Centre and State Governments should seriously address the problems being faced by Hijras/Transgenders such as fear, shame, gender dysphoria, social pressure, depression, suicidal tendencies, social stigma, etc. and any insistence for SRS for declaring one's gender is immoral and illegal.

(6) Centre and State Governments should take proper measures to provide medical care to TGs in the hospitals and also provide them separate public toilets and other facilities.

(7) Centre and State Governments should also take steps for framing various social welfare schemes for their betterment.

(8) Centre and State Governments should take steps to create public awareness so that TGs will feel that they are also part and parcel of the social life and be not treated as untouchables.

(9) Centre and the State Governments should also take measures to regain their respect and place in the society which once they enjoyed in our cultural and social life.

Yad-Lo

130. We are informed an Expert Committee has already been constituted to make an in-depth study of the problems faced by the Transgender community and suggest measures that can be taken by the Government to ameliorate their problems and to submit its report with recommendations within three months of its constitution. Let the recommendations be examined based on the legal declaration made in this Judgment and implemented within six months.

131. Writ Petitions are, accordingly, allowed, as above.

2– ट्रांसजेण्डर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम–2019 (2019 का 40 की धारा–32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अधिसूचना दिनांक 25.09.2020 द्वारा उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 प्रख्यापित की गई है। शासनादेश संख्या–19/26–2–2021–1(रिट)/2012, दिनांक 06.01.2021 द्वारा भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित नियम, 2020 की प्रति समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव सहित समस्त विभागाध्यक्ष, मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी को प्रेषित करते हुये उक्त नियम के अनुपालन में अपने विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर कार्यवाही करने एवं कृत कार्यवाही से भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को अवगत कराये जाने के आदेश निर्गत किये गये है।

3– भारत सरकार के उक्त नियम–2020 की धारा–10 में निम्नांकित प्राविधान किये गये है:–

"समुचित सरकार उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों एवं हितों की रक्षा करने और उन्हें सरकार द्वारा बनायी गयी स्कीमों तथा कल्याण संबंधी उपायों के प्रयोजनार्थ उनके लिए एक कल्याण बोर्ड गठित करेगी।"

4– उपर्युक्त के संबंध में उत्तर प्रदेश में ट्रांसजेण्डर हेतु कल्याणकारी योजनाओं के कियान्वयन की निगरानी और देख–रेख किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड के गठन किये जाने का प्रस्ताव निदेशक, समाज कल्याण विभाग द्वारा (उक्त बोर्ड सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत होने) उपलब्ध कराया गया है, जो निम्नवत् है:–

1. माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग,उ0प्र0 सरकार – अध्यक्ष
2. मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा नाम निर्दिष्ट किन्नर समुदाय का सदस्य – उपाध्यक्ष
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन – संयोजक
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, महिला कल्याण, उ0प्र0 शासन – सदस्य
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह, उ0प्र0 शासन – सदस्य
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन – सदस्य
7. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 शासन– सदस्य
8. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास, उ0प्र0 शासन–सदस्य
9. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन – सदस्य
10. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन – सदस्य
11. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन – सदस्य
12. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन– सदस्य
13. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन – सदस्य
14. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन – सदस्य
15. पुलिस आयुक्त, लखनऊ महानगर – सदस्य
16. किन्नर समुदाय के 05 प्रतिनिधि (क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का निर्धारण करते हुए अध्यक्ष द्वारा नामित) – सदस्य

17. किन्नर समुदाय हेतु कार्य करने वाले गैर–सरकारी संगठनों के 02 प्रतिनिधि (क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का निर्धारण करते हुए अध्यक्ष द्वारा नामित) – सदस्य
18. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश – सदस्य सचिव

(नोटः–क्रम सं. 4 से 14 तक सदस्य अपने प्रतिनिधि के रूप में विशेष सचिव स्तर के अधिकारी को बोर्ड के बैठकों में प्रतिभाग हेतु नामित कर सकते है।)

- बोर्ड के गैर–आधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा।
- किन्नर कल्याण बोर्ड की बैठक तीन महीने में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी।
- बोर्ड की बैठकों में भाग लेने वाले गैर आधिकारिक सदस्यों के पारिश्रमिक, यात्रा एवं दैनिक भत्ता का भुगतान किया जाएगा, जो समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वीकार्य और अंतिम रूप से निर्णीत होगा।

किन्नर कल्याण बोर्ड के कार्य निम्नलिखित होगें–

- किन्नर कल्याण बोर्ड किन्नर नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा और किन्नर सहायता इकाई के कार्यो की समीक्षा करेगा। किन्नर समुदाय को जमीनी स्तर पर शामिल करने के साथ किन्नर सहायता इकाईयों की गतिविधियों का आंकलन और मूल्यांकन करेगा।
- बोर्ड नीति और संस्थागत सुधारों का सुझाव देगा जो गरीब किन्नर और अन्य जोखिम वाले किन्नर समूहों के लिए सामाजिक आर्थिक विकास योजनाओं तक पहुंच को सुगम और सक्षम बनाता हो।
- बोर्ड किन्नर समुदाय की भलाई सुनिश्चित करने हेतु लक्षित और केंद्रित दृष्टिकोण के लिए विभागों में मौजूदा योजनाओं के अभिसरण को सुनिश्चित करेगा।
- किन्नरों की समानता और न्यायसमता (equity) सुनिश्चित करने के लिए दिशा–निर्देश निर्गत करेगा। विकास परियोजनाएं, कार्यक्रम और योजनाएं तैयार करते हुए उसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त धन आवंटित कराने की व्यवस्था करेगा।
- किन्नर समुदाय की आवश्यकताओं, मुद्दों, समस्याओं और स्थानीय संदर्भों को समझने के लिए किन्नरों के हितार्थ कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों को शामिल करते हुए समय–समय पर क्षेत्रीय स्तर पर मूल्यांकन करेगा। निष्कर्षों के आधार पर, नयी जरूरतों पर आधारित योजनाएं तैयार करेगा।
- बोर्ड जिला स्तरीय समिति या किन्नर सहायता इकाई द्वारा प्राप्त सभी प्रकरणों पर विचार करेगा तथा किन्नरों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर उचित दिशा–निर्देश निर्गत करेगा।
- भारत सरकार द्वारा निर्गत/प्रख्यापित उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण नियमावली, 2020 में किन्नर (ट्रांसजेण्डर) व्यक्ति के परिचय पत्र/पहचान प्रमाण पत्र बनाये जाने के संबंध में निर्देश पत्र दिनांक 17.12.2020 एवं शासनादेश दिनांक 06.01.2021 के माध्यम से दिये जा चुके है।
- निदेशक, समाज कल्याण द्वारा राज्य स्तरीय **किन्नर सहयोग इकाई (ट्रांसजेण्डर सपोर्ट यूनिट TSU) का गठन किया जायेगा,** जो मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य करेगीः–
  1. यह इकाई किन्नर से संबन्धित समस्त मुद्दे/समस्याओं को देखेगी।
  2. वार्षिक योजना के साथ–साथ नीतियों के क्रियान्वयन की समय सीमा निर्धारण के सम्बन्ध में रिपोर्ट शासन को यह इकाई प्रस्तुत करेंगी। इसके लिए इकाई हाईब्रिड दृष्टिकोण रखेगी, जिससे क्रियान्वयन का कार्य शीघ्रता एवं निर्धारित समयान्तर्गत किया जा सके।

3. किन्नर सहयोग इकाई (TSU) नीतियों के क्रियान्वयन अपनी योजनाओं का प्रस्ताव अनुमोदन के लिए किन्नर कल्याण बोर्ड (ट्रांसजेण्डर वेलफेयर बोर्डTWB)को प्रस्तुत करेंगी।
4. इन नीतियों के क्रियान्वयन का प्रस्ताव सभी संबन्धित विभागों एवं हितधारकों से समन्वय एवं सम्पर्क किन्नर सहयोग इकाई (TSU) द्वारा स्थापित किया जाएगा।
5. किन्नरों के मुद्दे/समस्याओं को एक साफ्टवेयर ऐप आधारित स्मार्ट कार्ड के द्वारा नियमित डाटा बेस तैयार करने के लिए प्रयोग किये जाने पर भी किन्नर सहयोग इकाई द्वारा कार्य किया जाएगा।

जनपद स्तरीय समिति–

किन्नरों के मुद्दे/समस्याओं के स्थानीय निस्तारण के संबंध में प्रत्येक जनपद में एक जनपद स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा जो परिभाषित कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेगा। समिति प्रत्येक माह एक बार बैठक करेगी। समिति का प्रारूप निम्नवत् है :–

क. जिलाधिकारी	––	अध्यक्ष
ख. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	––	सदस्य
ग. मुख्य चिकित्साधिकारी	––	सदस्य
घ. अपर मुख्यअधिकारी, जिला पंचायत	––	सदस्य
ड. जनपद के नगर निगम, बोर्ड एवं पंचायतके अध्यक्ष	––	सदस्य
च. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	––	सदस्य
छ. जिला प्रोबेशन अधिकारी	––	सदस्य
ज. बाल विकास परियोजना अधिकारी (जनपद के समस्त)	––	सदस्य
झ. जिला कार्यक्रम अधिकारी	––	सदस्य
ञ. मनोवैज्ञानिक (जिलाधिकारी द्वारा नामित)	––	सदस्य
ट. जिलाधिकारी द्वारा नामित किन्नर समुदाय के दो प्रतिनिधि	––	सदस्य
ठ. जिला समाज कल्याण अधिकारी	––	सदस्य सचिव

<u>समिति निम्नलिखित कार्य करेगी–</u>

- जनपद में किन्नरों के कल्याणार्थ सम्मिलित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं अन्य कार्यक्रमों की निगरानी।
- किन्नर समुदाय के सदस्यों से स्वघोषणा प्रपत्र के साथ आवेदन पत्रों की प्राप्ति करके पहचान पत्र संबन्धी मुद्दे पर राज्य स्तरीय किन्नर कल्याण बोर्ड (TWB) की सहायता करना।
- सभी सरकारी विभागों और एजेंसियों के साथ सम्पर्क करते हुए किन्नर समुदाय को गैर–भेदभाव तरीकों से उनके अधिकारों को सुनिश्चित कराना ताकि वे आनन्द पूर्वक तथा तनाव मुक्त होकर अपना जीवन यापन कर सके।
- बलात्कार एवं संकट हस्तक्षेप केन्द्रों के मॉडल पर किन्नर समुदाय के समर्थन एवं संकट हस्तक्षेप केन्द्रो की स्थापना एवं निगरानी करना। ऐसे केन्द्र को परामर्श कार्यक्रमों और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर कार्य करना चाहिए जो किन्नर समुदायों को विपरीत ढंग से प्रभावित करते है। केन्द्र को किन्नर समुदाय के व्यक्तियों के लिए सूचना केन्द्र एवं सहायता केन्द्र के रूप में भी कार्य करना चाहिए। किसी भी विशिष्ट प्रकार के मामलें में जनपद स्तरीय समिति को राज्यस्तरीय किन्नर कल्याण बोर्ड को सूचित करना।

- किन्नरों के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों के बारे में आम जनता और जन सामान्य के कल्याण से सम्बनिधत अधिकारियों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाना।
- नीतिगत ढांचे के अधीन योजनाओं के निर्माण का औपचारिक प्रस्ताव **किन्नर सहयोग इकाई (TSU)**को प्रषित करना।

5– मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त रिट याचिका में पारित आदेश दिनांक 15.04.2014 के अनुपालन में "उ0प्र0 किन्नर कल्याण बोर्ड" का गठन किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

के0 रविन्द्र नायक
प्रमुख सचिव।

संख्या व तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र संख्या–D.O. No.-DP-4/2/2020-DP-II, दिनांक 23.02.2021 के संदर्भ में।
2– अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन।
6– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
8– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, व्यवसायिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
10– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
11– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
12– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
13– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
14– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
15– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
16– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कौशल विकास, उ0प्र0 शासन।
17– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, दिव्यांगन जन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
18– पुलिस महानिदेशक, लखनऊ।
19– पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
20– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
21– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
22– निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
23– निदेशक, कौशल विकास मिशन, निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
24– समस्त नगर आयुक्त, उ0प्र0।
25– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
26– समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
27– गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(राज रतन)
संयुक्त सचिव

Yad-Uo